अनुदान संख्या 105 - युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 105–MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	498,85,00	498,89,00	448,81,13	–50,07,87
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				46,96,63
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		8,14,00	1,77,93	–6,36,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,54,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	856.00	677.52	669.58	–7.94
पु.	R.	–178.48			
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	42603.00	39958.93	39659.11	–299.82
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	–2647.07			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3890.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3890.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2496.00	4516.46	4512.98	–3.48
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2019.46			

(I) 5083.01 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4980.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204"- "खेलकूद और खेल"-

(क) "राज्य खेलकूद अकादमी"- 150.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(ख) "मादक औषध (डोप) परीक्षण संबंधी स्कीम" - 940.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने और साथ ही मादक औषध परीक्षण संबंधी उपस्कर की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 3890.00 लाख रु. आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.5083.01 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.4980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" – "Sports and Games"-

(a) "State Sports Academy" - Rs.150.00 lakhs - due to the scheme being under revision.

(b) "Scheme for Dope Test" - Rs.940.00 lakhs - due to the scheme being under revision and also delay in procurement of equipment for dope test.

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure- Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.3890.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2251''- ''सचिवालय - युवा मामले और खेल मंत्रालय'' के अंतर्गत 186.42 लाख रु. की बचत (856.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 120.65 लाख रु. की बचत (524.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से कम मांग प्राप्त होने और साथ ही किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) ''छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - पुन: अभिविन्यास एवं अनुसंधान केंद्र''- 216.15 लाख रु. की बचत (231.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण अभिविन्यास अनुसंधान केंद्रों/प्रशिक्षण अभिविन्यास केंद्रों से लेखे/उपयोग प्रमाण-पत्रों आदि जैसे अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम''-

(क) ''युवा कार्यकलापों और प्रशिक्षण का संवर्धन'' - 334.32 लाख रु. की बचत (890.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''मूल्यांकन सहित युवा और खेल क्लब'' - 210.69 लाख रु. की बचत (675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''राष्ट्रीय सद्भावना योजना'' - 350.01 लाख रु. की बचत (810.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) ''खेलकूद और खेल''-

(क) ''राष्ट्रीय खेलकूद संघों को सहायता'' - 503.36 लाख रु. की बचत (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Youth Affairs and Sports" - saving of Rs.186.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.856.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(III) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Service Scheme" - saving of Rs.120.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.524.00 lakhs) was due to less demand from various Regional Centres of National Service Scheme and also on account of economy measures.

(B) "Youth Welfare Programmes for students-Reorientation and Research Centre (NSS)" - saving of Rs.216.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.231.00 lakhs) was due to non-receipt of required documents like accounts/ utilisation certificates etc. from Training Orientation Research Centres/Training Orientation Centres.

(C) "Youth Welfare Programmes for non-students"-

(a) "Promotion of youth activities and training"- saving of Rs.334.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.890.00 lakhs);

(b) "Youth and Sports Clubs including of evaluation" - saving of Rs.210.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.675.00 lakhs);

(c) "Rashtriya Sadbhawana Yojana" - saving of Rs.350.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.810.00 lakhs);

(D) "Sports and Games"-

(a) "Assistance to National Sports Federations"- saving of Rs.503.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs);

(ख) ''खेलकूद कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन''- 916.62 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी स्कीम''- 260.76 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) ''पुरस्कारों से संबंधित स्कीमें''- 143.34 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ङ) ''राष्ट्रमंडल खेल''- 1245.00 लाख रु. की बचत (4550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम तैयार न किए जाने के कारण हुई।

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत 254.26 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1005.32 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005, दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में 4.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204''-

(क) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम''-

(i) ''अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान''- 99.58 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 98.27 लाख रु. था।

(ii) ''किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम''- 125.74 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 117.95 लाख रु. था।

(b) "Incentives for promotion of Sports Activities" - saving of Rs.916.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs);

(c) "Scheme relating to talent Search and training"- saving of Rs.260.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs); and

(d) "Schemes relating to Awards" - saving of Rs.143.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to receipt of less number of viable proposals.

(e) "Commonwealth Games" - saving of Rs.1245.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4550.00 lakhs) was due to non-formulation of the scheme.

(IV) Under four heads savings of Rs.254.26 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 88 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1005.32 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.4.00 lakhs in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" -

(a) "Youth Welfare Programmes for non-students" -

(i) "Exchange of delegations of Youth at International level"- Rs.99.58 lakhs. Actual excess, however, was Rs.98.27 lakhs.

(ii) "Scheme of financial assistance for Development and Empowerment of Adolescents"- Rs.125.74 lakhs. Actual excess, however, was Rs.117.95 lakhs.

(ख) ''खेलकूद और खेल''-

(i) ''विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों और खेलकूद के लिए अनुदान की स्कीम''- 150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 149.75 लाख रु. था।

(ii) ''कृत्रिम सतहों की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन के लिए सहायता की स्कीम''- 150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 149.75 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - खेलकूद अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान की स्कीम''- 480.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 479.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204''-

(क) ''निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र संगठन'' - 389.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और बढ़े हुए महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''खेलकूद और खेल - भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 1849.00 लाख रु. का अधिक व्यय (15735.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम''- 1020.05

(b) "Sports and Games"-

(i) "Scheme of grants for games and sports in Universities and Colleges"- Rs.150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.149.75 lakhs.

(ii) "Scheme of supports for supply and installation of synthetic surfaces" - Rs.150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.149.75 lakhs.

(B) Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes - Sports and Youth Services - Sports and Games - Scheme of grants for creation of sports infrastructures"- Rs.480.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.479.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2204"-

(a) "Direction and Administration- Nehru Yuva Kendra Sangathan"- excess of Rs.389.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5100.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and payment of enhanced dearness allowance.

(b) "Sports and Games - Sports Authority of India" - excess of Rs.1849.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15735.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601"-"Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students -

लाख रु. का अधिक व्यय (2045.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राष्ट्रीय सेवा स्कीमों/कार्यक्रम/कार्यकलाप लागू किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - राष्ट्रीय खेलकूद संघ को सहायता की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान''- 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.36 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

National Service Scheme" - excess of Rs.1020.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2045.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and release of additional funds to various State Governments for implementation of the National Service Schemes/Programme/activities.

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games - Grants to State Governments for holding National Games under the Scheme of Assistance to National Sports Federation" - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.65.36 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	764.00	460.00	177.93	–282.07
पु.	R.	–304.00			

(I) 404.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 350.00 लाख रु. अकेले ''खेलकूद और युवा सेवाएं - अन्य व्यय - राज्य खेलकूद अकादमी'' के अंतर्गत स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - युवा छात्राावास - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/अन्य अभिकरणों को अदायगी'' के अंतर्गत 232.07 लाख रु. की बचत (410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय वहन किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.404.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.350.00 lakhs alone accounted for under "Sports and Youth Services - Other Expenditure - State Sports Academy" - due to scheme being under revision.

(II) Under "Sports and Youth Services - Youth Hostels - Payment to CPWD/other agencies" - saving of Rs.232.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.410.00 lakhs) was due to less expenditure incurred by the Central Public Works Department.